

request - 95
By Regd. Post

From,

S. S. Gautam,
Deputy Registrar(M),
High Court of Judicature at,
Allahabad.

To,

The District Judge,
Jaunpur.

86

No. 12904 /IV-3018/Admin.(A) dated 16-09-2013

Subject: Grant of Three advance increments to those officers who have been selected on or after 21.03.2002 having two years degree of LL.M. from a recognized University.

Sir,

With reference to your letter no. JK 856/XV dated 06.06.2013, on the above subject, I have to say that from perusal of service record of Sri Mridul Kumar Mishra, Additional Civil Judge (Sr. Div.), Jaunpur, it is found that he has selected without having two years degree of LL.M. as he has not mentioned LL.M. in the form of U.P Nyayik Sewa.

According to the Govt. order and approval of Hon'ble the Chief Justice, three advance increments only be given to those judicial Officers of U.P Nyayik Sewa and U.PH.J.S., who have been selected on or after 21.03.2002 having two years degree of LL.M. from a recognized University and for ensuring that who have been selected on or after 21.03.2002 having LL.M. degree who have mentioned this qualification in the application form of U.P Nyayik Sewa and U.P Higher Judicial Service, as the case may be.

I am therefore to request you kindly to intimate Sri Mridul Kumar Mishra that he has not fulfilled the required conditions, for grant of three advance increments.

Yours Faithfully,

S. S. Gautam
9.9.13

Deputy Registrar

87

No. 12905 /IV-3018/Admin.(A) dated 16-09-2013

Copy forwarded for information to Sri Mridul Kumar Mishra, Additional Civil Judge (Sr. Div.), Jaunpur.

S. S. Gautam
9.9.13

Deputy Registrar

SO/AR (Admin. A-D) DR(M)

May like to issue?

*Mridul 9.9.2013
07.09.2013
ARO*

*Babu 09/09/13
Muhammad 09-09-13
R.D.*

Santal
14-6-13

प्रेषक,

राकेश कुमार- ॥
जनपद न्यायाधीश,
जौनपुर।

सेवा में

श्री राजीव लोचन मेहरोत्रा,
निबन्धक (बजट),
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

पत्रांक ८५८५६।

दिनांक, जौनपुर : जून ०६, २०१३ ई०

विषय : उत्तर प्रदेश के न्यायिक सेवा में चयनित अभ्यर्थियों, जिन्होंने विधि रानातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है, को तीन अग्रिम वेतन वृद्धि देने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक माननीय उच्च न्यायालय के पत्र संख्या 7419/चार एडमिन (ए), दिनांकित 25.05.2013 के संदर्भ में यह कहना है कि इस कार्यालय में दिनांक 31.05.2013 को उक्त पत्र प्राप्त होने के उपरान्त उसे इस न्यायिक अधिष्ठान के समरत न्यायिक अधिकारियों के मध्य परिचालित कराया गया। तदोपरान्त निम्नांकित न्यायिक अधिकारियों के आवेदनपत्र प्राप्त हुये हैं जिन्होंने रानातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है और उनकी नियुक्ति दिनांक 21.03.2002 के पश्चात हुई है :—

क्रमांक न्यायिक अधिकारी का नाम एवं पदनाम

नियुक्ति की तिथि

1. श्री राम सुलीन सिंह, अपर जिला जज / विशेष जज
(ई०सी०एक्ट) जौनपुर। 28.02.2011
2. श्री मृदूल कुमार मिश्र, अपर सिविल जज (सी०डि०) द्वितीय 22.12.2003
3. श्री वीरेन्द्र नाथ पाण्डेय, अपर सिविल जज (जू०डि०) प्रथम 16.07.2009

उपरोक्त न्यायिक अधिकारियों के आवेदनपत्र मय संलग्नक माननीय उच्च न्यायालय को अग्रेतर कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित हैं।

संलग्नक :
यथा उपरोक्त

भवदीय,
(राकेश कुमार- ॥)
जनपद न्यायाधीश,
जौनपुर।

SO Am (H/A)

18
12-6-13
VR(m)

Request - ५

Request - ७५

प्रेषक,

मृदुल कुमार मिश्र,
अपर सिविल जज(सी0डी0)द्वितीय,
कोट नं0-10, जौनपुर।

सेवा में,

माननीय निबन्धक,(बजट),
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।
द्वारा, आदरणीय जनपद न्यायाधीश,
जनपद जौनपुर।

संदर्भ:- परिपत्र सं0-7419 / IV एडमिन (A) दिनांकित 25.05.2013 के संबंध
में-

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त परिपत्र के अनुसार यह जानकारी बाँछेत है कि वह न्यायिक अधिकारी जो दिनांक 21.03.02 के बाद सेवा में आये हैं और उनके पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि की स्नातकोत्तर उपाधि है उनकी सूचना प्रेषित की जाय जिससे ऐसे न्यायिक अधिकारी को तीन अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदत्त की जा सके। इस संदर्भ में आपको सादर अवगत कराना है कि मैंने दिनांक 22.12.03 को न्यायिक सेवा में कार्यभार ग्रहण किया है एवं मैंने काशी हिन्दू विश्व विद्यालय से वर्ष-1996 में विधि की स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है।

अतः आपसे सादर अनुरोध है कि मेरी नियुक्ति तिथि 22.12.03 से तीन अग्रिम वेतन वृद्धि प्राप्त होने का आदेश प्रदत्त करने के लिये मेरे प्रार्थना-पत्र को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करें।

दिनांक:03.06.2013

भवदीय,
W.Mishra/03/06/13

संलग्नक:-

(मृदुल कुमार मिश्र),

1-विधि की स्नातकोत्तर उपाधि
की छायाप्रति।

अपर सिविल जज(सी0डी0)द्वितीय,
कोट नं0-10, जौनपुर।

जौनपुर जजधिय
पत्रांक:.....
अप्रसारित:.....

आई0डी0नं0-6092

जनपद न्यायाधीश
जौनपुर।

Request - 95

मानक 34

ग्रन्थालय मुख्यालय 329

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय:
मास्टर ऑफ लॉज़

हति तामा/नामी

अस्य विश्वविद्यालयस्य १९९६ में इसवीयवत्सरे परीक्षाया रद्दीतोरुं अण्यां समुन्तीर्य

मास्टर ऑफ लॉज़ पदवी प्राप्तोदिनि प्रमाणायति।

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय
मास्टर ऑफ लॉज़

प्रमाणित किया जाता है कि

ना. ३२९

ने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की सन् १९९६ की परीक्षा छित्रिय श्रेणी में
उत्तीर्ण होकर मास्टर ऑफ लॉज़ उपाधि प्राप्त की।

BANARAS HINDU UNIVERSITY
Master of Laws

This is to certify that

Shri / Shriya [Signature] obtained the degree of Master of Laws in this University in the Examination of 1996, and that he/she was placed in the Second Class.

PROVOST AND EXAMINER
FACULTY OF LAW

[Signature]
PROVOST AND EXAMINER

http://f1mail.rediff.com/prism/readmail?file_name=1297831162.S.665814.19091.F.H.WW... 2/16/2011

*(True copy
self attested
M. K. Singh 3/6/11)*

1299
22-2-11

Santal
24-2-11
Encl-③

प्रेषक,

मृदुल कुमार मिश्रा
अपर सिविल जज(सी0डिओ)
कक्ष संख्या 2 कानपुर नगर।

सेवा में,

माननीय महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

1299

22-2-11

द्वारा:

आदरणीय जनपद न्यायाधीश,
कानपुर नगर।

सन्दर्भ: स्नातकोत्तर उपाधिधारक को तीन अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान किये जाने के सन्दर्भ में।

महोदय,

आपको सादर अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या 1363 / दो -4-2009-45(12) / 91 टी. सी. नियुक्ति अनुभाग-4 दिनांक 13/05/09 के अनुसार न्यायिक सेवा के उन सदस्यों को जिनके पास स्नातकोत्तर उपाधि है दिनांक 21.03.02 से तीन अग्रिम वेतन वृद्धि प्राप्त होनी है के अनुसरण में जब मेरे द्वारा संयुक्त निदेशक शिविर कार्यालय नवीन कोषागार को वेतन पर्ची निर्गत करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया तो उनके द्वारा मुझे यह अवगत कराया गया है कि इस सन्दर्भ में माननीय उच्च न्यायालय से आदेश प्राप्त होने के उपरान्त ही वेतन पर्ची निर्गत की जा सकती है।

अतः आपसे सादर अनुरोध है कि मुझे मेरी नियुक्ति तिथि दिनांक 22.12.03 से तीन अग्रिम वेतन वृद्धि प्राप्त होने का आदेश प्रदत्त करने के लिए मेरे प्रार्थनापत्र को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करें।

सादर,

03 318
So Admin H/A

दिनांक 18.2.2011

JRCM
24-2-11

मृदुल कुमार मिश्रा
(मृदुल कुमार मिश्रा)
अपर सिविल जज (सी0डिओ)
कक्ष संख्या 2 कानपुर नगर

संलग्नक:

- 
- 1-विधि स्नातकोत्तर की उपाधि
 - 2-शासनादेश
 - 3-संयुक्त निदेशक कोषागार को
प्रेषित पत्र की छाया प्रति

JRCM

Withlenn 138mt

कानपुर नगर जजशिप

पत्रांक संख्या २९८। दिनांक १४ फरवरी 2011

माननीय महानिबन्धक, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को अग्रसारित।

Smt. Anil Kumar
24-2-11
13

जनपद न्यायाधीश
कानपुर नगर
प्रमाणित
दिनांक 14.2.2011

IV 30/8
62

13/11

8
31-7-11 8-8-11
8
24-8-11

Request 95

मार्गदर्शक

प्रधान मन्त्री 329

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय
मास्टर ऑफ लॉज़

इति नामा/नामी

अग्र विभिन्न विषयों परीक्षा के समाप्ति परीक्षायां छुट्टीय श्रेणीं समुक्तीय

मास्टर ऑफ लॉज़ पदवी प्राप्तोदिन प्रमाणायति।

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय
मास्टर ऑफ लॉज़

प्रमाणित किया जाता है कि

ने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की सर १९९६ की परीक्षा छुट्टीय श्रेणी में
उत्तीर्ण होकर मास्टर ऑफ लॉज़ उपाधि प्राप्त की।

BANAKAS HINDU UNIVERSITY
Master of Laws

This is to certify that

obtained the degree of Master of Laws in this University in
the Examination of 1996 , and that he/she was placed in
the Second Class.

गोपनीय विचारक
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय

प्रधान मन्त्री/VICE CHANCELLOR

http://f1mail.rediff.com/prism/readmail?file_name=1297831162.S.665814.19091.F.H.WW... 2/16/2011

True copy
Secty
W
Bldg Add'l Civil Secy PSC PSC
Secty
PSC

प्रेषक

मुमुक्षुल कृमसर मिश्रा
अपर सिचिल जबूसी ०५०
पद सं०-२ कानपुर नगर।

Request - 95

सेवा में,

संयुक्त निदेशक सिचिल कार्यालय,
नवीन कोडांगर,
झारखण्ड।

दारा— माननीय जनपद न्यायाधीश
कानपुर-नगर।

संदर्भ— प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वैतन आयोग बैठकोटी क्षमोऽन् दारा की
गयी संस्थानियों के बीच में २००० उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक
२१.३.०२ के अनुसार में उ० प्र० राज्य के स्नातकोत्तर उपाधिकारक
न्यायिक सेवा के स्थनित अधिकारीयों को तीन अग्रिम वैतन वृद्धियाँ प्रदान किये
जाने के संबंध में।

मोदम्

आपको सत्स्मान अवगत कराना है कि उपरोक्त संदर्भित शास्त्रादेश
के अनुसार माननीय उच्चतम न्यायालय दारा अपने आदेश दिनांक २१.३.०२
के द्वारा स्नातकोत्तर उपाधि धारक न्यायिक सेवा के सदस्यों को
तीन अग्रिम वैतन वृद्धि प्रदान की गई है आपको सादर अवगत करना है कि
मेरे पास विधि के स्नातकोत्तर उपाधि धारक है और मुझे
उक्त आदेश के तहत तीन अग्रिम वैतन वृद्धि प्रदान होनी चाहिए।

अतः आपको अनुरोध है कि उक्त आदेश के अनुबम में
मेरे वैतन निर्धारण कर नहीं बैतन पर्याप्ति निर्गत बख्त का छाट के।

दिनांक— २१०३०५

गवर्नर

मुमुक्षुल कृमसर मिश्रा

KANPUR NAGAR JUDGESHIP
THE AGRA DISTRICT COURT OF ०५०

No. ९३४/१ कम सं० ८२८ जून वर्ष २००९।

Forwarded to the Joint Director,
Treasuries, Camp. office, New Treasury Building,
Allahabad.

District Judge,
Kanpur-Nagar.

True COPY
Self Certified
M. D. M.
17/02/11
.../...

प्रेषक,

कुंवर फतेह बहादुर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन
सेवा में।

महोदयबंधक,
मा० उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

Request 95

नियुक्ति अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक: 13 मई, 2009

विषय:-प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (शेट्टी कमीशन) द्वारा की गयी संस्तुतेयों के क्रम में मा० उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 21.3.2002 के अनुपालन में उ० प्र० राज्य के स्नातकोत्तर उपाधिधारक न्यायिक सेवा के चयनित अभ्यर्थियों को तीन अग्रिम वेतन वृद्धियां प्रदान किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा० शेट्टी आयोग की रिपोर्ट वाल्यूम-2/ संस्तुति संबंधी पैरा-8.43 में पेज-590 पर निम्नलिखित संस्तुति की गयी है:-

8.48 If selected candidates are having a higher qualification like post Graduation in Law, We recommend that three advance increments be given as it is allowed by the Delhi Administration. It is an acknowledged fact that Post-Graduation in Law is a difficult course and it is better to reward appropriately such candidates.

2- इससंबंध में मुझे यह लहने का निदेश हुआ है कि मा० उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 21.3.2002 के अनुपालन में उपरोक्त संस्तुति को दिनांक 21.3.2002 से स्वीकार करते हुए विधि में स्नातकोत्तर उपाधिधारक उ० प्र० राज्य के न्यायिक सेवा में चयनित अभ्यर्थियों को 3 अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान किये जाने की श्री राजनाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अ०३००३०-दे०३००-२-५१७/दस-२००९, दिनांक 13.5.2009 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्णत किये जा रहे हैं।

een.Circulate.
end its copy to
/c.Bills.

J.
0.5.2009.

भवदीय

See

(कुंवर फतेह बहादुर)

प्रमुख सचिव।

| | | |
|--------------------|------------|---------------|
| Umesh Singh | M.M. VII | P.C. on leave |
| Prabhakar Maniyam | M.M. VIII | 1/05.6.2009 |
| Maniyam - II | M.M. IX | 1/05.6.2009 |
| Aswodha Nath Singh | M.M. X | 1/05.6.2009 |
| Shivpal Singh | S.P.I.M.M. | |
| Chandru Singh | S.P.I.M.M. | |

संख्या-1363(1)/दो-4-2003-45(12)/91टीसी, ट्रांफिल्म

प्रतिलिपि उपर्लिखित शासनादेश के संदर्भ में निम्नलिखित को सूचित एवं
आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- श्री राजधानी महोदय के प्रमुख सचिव/सचिव।
- 2- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
- 3- निदेशक, कोषागार निदेशालय, उ० प्र०, लखनऊ।
- 4- प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 5- निदेशक, पैशन निदेशालय, इन्दिरा भवन, उ० प्र०, लखनऊ।
- 6- निदेशक वित्तीय प्रबंध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, 24/3, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
- 7- सूचना निदेशक, उ० प्र०, लखनऊ।
- 8- समस्त अपर/संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पैशन, उ० प्र०,
- 9- समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 10- वित्त (सामान्य) अनुभाग-1,2,3, वित्त (व्यव-नियन्त्रण) अनुभाग-5,
- 11- उत्तर प्रदेश सचिवालय के समरत अनुभाग।
- 12- संयुक्त निदेशक, शिविर कार्यालय, कोषागार निदेशालय, नवीन कोषागार भवन,
कचहरी रोड, इलाहाबाद।
- 13- इरलावेक अनुभाग/इरला चैक (वित्तन पर्ची) प्रकोष्ठ, उ० प्र० सचिवालय।
- 14- महालेखाकर (लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय तथा आठिंठ प्रथम एवं
द्वितीय, उ० प्र० इलाहाबाद।
- 15- रामस्त जनपद न्यायाधीश/गिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 16- श्री श्रीराम कृष्ण एवं केत आन रिकार्ड, 236 न्यू लायर्स चैम्बर, मा०
- उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
- 17- विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी, मा० उच्चतम न्यायालय (विधि कोष्ठक),
21 राउज एवेन्यू, उदू घर मार्ग, नई दिल्ली।
- 18- गार्ड पाइल।

अभिना से,

(अवधेश कुमार सिंह राठौर)
विशेष सचिव।